

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉय्सी, दिनांक : ४०/१२-१२

विषय :— वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष—2700—वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष—01— वृहद सिंचाई—वाणिज्यिक, लघु शीर्ष—001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष—01—तेनुधाट बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 2700— वृहद सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700—वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई—वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 01—तेनुधाट बाँध परियोजना	111.900

कुल आवंटित राशि — रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध ₹ 490.97 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख संतानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.0) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

155

रॉची, दिनांक :- ४-१२-१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग/बोकारो/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-

155

रॉची, दिनांक :- ४-१२-१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-७ को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त




(ओंकार नाथ)
सहा. अभि.



(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)



(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

गांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-वृहद सिंचाइ/उप मुख्य शीर्ष-01-वृहद सिंचाइ वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-तेजुधाट बैंध परियोजना

पत्रांक 1/२.१.... दिनांक ८-१२-१२.... का अनुलग्नक

परिशिष्ट 1

क्र० सं	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ता					विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-07-राशि लाख रुपये में
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	एलटी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किरणादर्श, कर	दूरभाष व्यय	वर्दी	विद्युत व्यय	ग्राम्य व्यय	मोटरगाड़िया इंधन एवं मरम्मति	विदेशीय व्यय	मोटरगाड़िया इंधन एवं मरम्मति		
1	कार्यालय का नाम																
1	विष्ट्र कोड	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	49N27001001	010442
1	तेजुधाट बैंध अंचल, तेजुधाट	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	तेजुधाट बैंध अंचल, अतिरिक्त आवंटन	25,000	15,000	40,000	0,250	0,450	0,500	0,000	0,120	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	42,320	0,000	31,430
1	कुल आवंटन	47,000	23,000	70,000	0,250	0,550	1,200	0,000	0,200	0,250	0,000	1,300	0,000	0,000	73,750	0,000	0,000
2	तेजुधाट बैंध प्रमंडल, तेजुधाट	पूर्व का आवंटन	98,000	58,000	156,000	0,250	0,950	0,500	0,000	0,100	0,000	0,000	1,000	0,000	158,800	0,000	0,000
2	कुल आवंटन	49,000	29,000	78,000	0,000	0,000	0,050	0,120	0,000	1,450	0,250	0,200	0,400	0,400	80,470	0,000	0,000
2	अतिरिक्त आवंटन का योग	71,000	37,000	108,000	0,000	0,100	0,750	0,120	0,080	1,700	0,250	0,500	0,400	0,400	111,900	0,000	0,000

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विवेध-14/2010-50/बजट दिं 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपनीकरण के अधार पर ही

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रूपये एक करोड़ रुपये लाख नब्बे हजार मात्र

(ओंकार नाथ)
सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अधि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधि.)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शातपथी)
प्रधान सचिव